रिक्ति परिपत्र

सं. ए/49792/एस–25/मु प्र अ/भर्ती–1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

कमरा संख्या 170, ई– ब्लॉक
डलहौजी रोड
नई दिल्ली– 110011
दिनांक 15 फरवरी 2016

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव

विषयः– सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन आधार पर ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी के दो पदों को भरा जाना

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन आधार पर वेतन बंध रू. 9300 – 34800 (वे.ब. .2) + ग्रेड वेतन रू. 4200 के वेतनमान में **ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय)** के दो पदों को भरा जाना है :–

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -1, 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रू. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -1, 5200 – 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रू. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं ; अर्थात

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ।

(ii) सरकारी विभागों के सामान्य प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव ।

2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या

पृष्ठ .....2../

मुख्य सचिव कार्यालय
झारखण्ड, राँची
गै.स.प्र.सं. 1229
तिथि 12/3/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखण्ड,राँची
गैर सरकारी प्रेषण संख्या 372
16/3/16

किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(Pay II) दिनांक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संषोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

5. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधरण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

6. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो /ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित)इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से **60** दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए । देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/ए पी ए आर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र,संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेंस), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुषासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया हे ।

7. जीवनवृत्त का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट **www.caomod.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :– पद के लिए एक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(जेड. एस. कोईरेंग)
उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती–। एवं ।।।
कृते संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ

प्रतिलिपि :

एकीकृत मुख्यालय – रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग
एकीकृत मुख्यालय – रक्षा मंत्राालय (वायु सेना)/वा से मु/पी सी– 1
एकीकृत मुख्यालय – रक्षा मंत्रालय, (नौसेना)/प्रशासन निदेशालय
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मु प्र अ कार्यालय के सभी अनुभाग
सुरक्षा कार्यालय , रक्षा मंत्रालय
मु प्र अ/का– 2 : सूचनार्थ
मुप्रअ/ई डी पी : मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू ।